ORIGINAL RESEARCH PAPER

Hindi

शोधपत्र-महिला सशक्तिकरण और नई पीढ़ी

KEY WORDS: आम महिलाओं के जीवन में उनकी स्थिति में, उकी सोच में परिवर्तन। यही तो है असली Empowerment (सशाक्तिकरण)

डॉ नरेन्द्र सिंह सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) सी.आर.एम.जाट महाविद्यालय हिसार

ABSTRACT

भारत में नारी का स्थान हमेषा से ही गंभीर विषय रहा है। भारत में आज भी नारी को केवल एक काम करने वाली महिला के रूप में समझा जाता है। भारत का इतिहास साक्षी रहा है कि भारतीयों ने नारी जाति को हमेषा एक बहुत अच्छा स्थान प्रदान किया है। वैदिक युग में नारी को बहुत ही उच्च स्थान पर रखा जाता था। भारत के वेद और पुराणों में भी नारी को परमेश्वर के शक्ति के रूप में स्थान दिया जाता था। विद्या, बिभूति और शक्ति को सरस्वती, लक्ष्मी और दूर्गा के रूप में हम इनका पूजन आज भी करते हैं। लेकिन आज के समय में परिस्थितियां बदल चुकी है। अपने क्षेत्र में खास उपलब्धियां हासिल करने वाली कुछ महिलाओं के उदाहरण देकर हम महिलाओं की उन्नति को दर्षाते है जैसे– रानी लक्ष्मीबाई इंदिरा गांधी, किरण बेदी, सानिया मिर्जा आदि। परन्तु महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आया? और आम महिलाओं ने परिवर्तन को किस तरह से देखा? दरअसल असल परिवर्तन तो आना चाहिए आम लोगों के जीवन में एक जरूरत है उनकी सोच में परिवर्तन लाने की उन्हें बदलने की।

सशक्तिकरण से तात्पर्य –
किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आजाती है कि वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके।

महिला सषक्तिकरण से भी हम उसी क्षमता की बात कर रहें है जहां महिलाएं परिवार और समाज के सब बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। समाज के सभी क्षेत्रों में पुरूष और महिला दोनों को बराबरी में लाना होगा। देष समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए 'महिला सषक्तिकरण' बेहद जरूरी है।

महिला सषक्तिकरण के लिए लैंगिक समानता बहुत आवष्यक है। यह स्थिति हमेषा से नहीं है बल्कि प्राचीन युग के बहुत समय पहले महिला का बहुत आदार सम्मान किया जाता था और परिवार माता के नाम से जाने जाते थे। उस समय परिवार का मुखिया पिता ना होकर माता हुआ करती थी। लेकिन समय के गुजरने के साथ–साथ घर के मुखिया का स्थान पुरूष ने लिया। लेकिन हम आज भी यह कह सकते है कि लोग नारी को आज भी पूजते हैं और आज से तीन हजार साल पहले भी।

समय के साथ–साथ परिस्थितियां और सामाजिक परिवेश भी बदल गया। इसके साथ आचार–विचार में परिवर्तन होते गये। और मध्य युग आते–आते महिला की सामाजिक स्थिति में बहुत ही कमी आ गई। महिला एक मंनरोजन की वस्तु बन गई और घर में दासी बनकर रह गई। विचार कितने बदल गये उनके लिए कबीर दास का एक दोहा है :–

नारी की झाई पड़त। अँधा होत भुजंग।
कबिरा तिनकी कोन गति, जो नित नारी के संग।।[1]

बदलते जमाने में नारी को हर क्षेत्र में आघात लगा। नारी, शक्ति का प्रतीक ना होकर अबला बन कर रह गई।

मैथलीशरण गुप्त ने कहा –

अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी
आँचल में दूध और आँखों में पानी।[2]

लेकिन इस अबला को सबला बनाने की जरूरत है। भारत एक विकासशील देष और देष की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। क्योंकि ये पुरूष प्रधान देष है। और वो महिलाओं को केवल घर में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। वो यही नहीं जानते कि महिलाएं भी इस देष की आधी शक्ति है और पुरूषो के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से देष की पूरी शक्ति बन सकती है।[3]

भारत में महिलाओं को सषक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। जैसे–देहज प्रथा, अषिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, बलात्कार, वैयावृत्ति, मानवतस्करी और भी ऐसे ही दूसरे विषय।

लैगिंक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अन्तर ले आता है, जो देष को पीछे की ओर धकेलता है। भारत के संविधान में लिखित समानता के अधिकार को सुनिष्चित करने के लिए महिलाओं को सषक्त बनाना सबसे प्रभावषाली उपाय है और इस तरह की बुराईयों को मिटाने के लिए लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सषक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सषक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए ये जरूरी है कि महिला शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो। चूंकि एक बेहतर षिक्षा की शुरूआत बचपन से घर पर हो सकती है। बचपन में जो सिखाया जाता है जैसे लड़कियाँ गुडियाँ से खेलती है, वह घर का काम करती है आदि। ये सब विचार लड़की के मन में घर कर जाते है जो उसको असुरक्षित महसूस करवाते रहते है। अतः महिला सषक्तिकरण की शुरूआत घर से ही होती है। जोकि महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा कहा गया वाक्य –

''लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना आवश्यक है''

इस वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। संविधान के द्वारा जो नियम, कानून बनाये गये है। उनको समझने की आवष्यकता है। इन पर सकारात्मक रूप से सोचने की आवष्यकता है। महिलाओं को पूरी स्वतन्त्रता देने की आवष्यकता है ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। महिलाओं को भी अपनी पूर्व धारणा को बदलने की जरूरत है कि वो कमजोर है और उन्हें कोई भी धोखा दे सकता है। इसकी बजाय उन्हें यह सोचने की आवष्यकता है कि उसमें पुरूषों से अधिक शाक्ति है और वो पुरूषों से बेहतर कर सकती हैं। ये परिवारों और समुदायों के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करने के साथ–साथ अगली पीढ़ी को बेहतर मौके प्रदान करके गरीबी को कम करने में मदद कर सकती है।

महिला सषक्तिकरण के लिए महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी जाती है हाँलाकि समाज और परिवार में उनेक साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है। वो घरो की चार दिवारी तक ही सीमित रहती है। उन्हें अपने अधिकारों से बिल्कुल अनभिज्ञ रखा जाता है।

भारत के लोग इस देष को माँ का दर्जा देते है लेकिन माँ का असली अर्थ को कोई नहीं समझता ये हम सभी भारतीयों की माँ है और हमें इसकी रक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

निष्कर्ष :–
भारतीय समाज में सच में महिला सषक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जोकि समाज की विस्तृामक और पुरूष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। जरूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाये। उनको कौषल को उनकी जीवन रेखा बनाये। ताकि समय आने पर वे व्यवस्था कर सके। अपना परिवार, समुदाय आने पर वे व्यवसाय कर सके। अपना परिवार, समुदाय और देष के हित के लिए आर्थिक सहयोग दे सकें। इन सबके लिए यह भी जरूरी है कि उनके आत्मविश्वास को जीता जाए। ताकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और एक सुनियोजित भविष्य बना सकें।

'समय है सोच में' परिवर्तन लाने का महिला सषक्ति की ओर कदम बढ़ाने का –
कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सषक्त बनाने के लिये संसद द्वारा पास किये गये कुछ अधिनियम है।

दहेज रोक अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, मेडिकल टर्मेषल ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 2006 लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रक और गलत इस्तेमाल के रोकथाम एक्ट) 1994, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोशण एक्ट 2013।

मान्नीय नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाई गई योजना जो महिला सषक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना 22 जून 2015 सुकन्या समृद्धि योजना है।

संदर्भ ग्रंथ –
1. कबीर का दोहा – बीजक संग्रह
2. मौथिली शरण गुप्त का पद –अबला नारी
3. भारतीय संविधान व नियमावाली –
4. हिन्दी की दुनियां डॉट कॉम
   यूथ की आवाज डॉट कॉम